<u>संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021/606 होगा/08 टी0सी0</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 13 अगस्त, 2021

विषय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की दुर्घटना के कारण मृत्यु एवं अपंग होने पर निम्नवत राशि दिये जाने की व्यवस्था रही है:-

1.	दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, पूर्ण स्थायी अपंगता यथा (पक्षाघात आदि) तथा दो अंगों अथवा दोनों ऑखों की पूर्ण रूप से हानि होने पर।	रू0 5,00,000/-
2.	एक अंग अथवा एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि होने पर।	रू0 2,50,000/-

निविदा के माध्यम से इस हेतु चयनित बीमा कम्पनी को आच्छादित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की संख्या के सापेक्ष प्रीमियम की धनराशि दी जाती है, जिसके उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा योजना से आच्छादित प्रकरणों में उक्तवत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. सामाजिक सुरक्षा बीमा से आच्छादित न होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश होमगार्डस स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013 के अन्तर्गत प्रस्तर-4(क) में निम्नवत राशि दिये जाने की व्यवस्था है :-

1.	साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में।	रू0 5,00,000/-
2.	विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में। इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी।	रू0 3,00,000/-

........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.	परेड, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में।	रू0 2,00,000/-
4.	उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत अपंगता (दो अंगों अथवा दोनों ऑखें अथवा एक अंग एवं एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि पर) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण रूप से स्थायी अपंगता पर (उदाहरण के रूप में पक्षाघात) की दशा में उक्त श्रेणियों के लिये अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि का चौथायी अनुग्रह धनराशि सहायता के रूप में देय होगी।	

3. बीमा कम्पनी के माध्यम से होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दी जाने वाली बीमा धनराशि के भुगतान में विभिन्न कठिनाइयाँ आती रही हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष में रक्षित धनराशि रू0 10 करोड़ के ब्याज से अर्जित धनराशि सभी पात्र होमगार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारियों को आर्थिक सहायता हेतु पर्याप्त नहीं होती है, जिससे होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों अथवा उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने एवं अपंगता की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था तथा जो होमगार्डस स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी दुर्घटना बीमा से आच्छादित नहीं होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश होमगार्डस स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली 2013 के प्रस्तर-4(क) 1, 2, 3 व 4 के अनुसार दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामिनी / उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में उनको अनुग्रह राशि निम्नवत दिये जाने का निर्णय लिया जाता है:-

1.	मृत्यु होने की दशा में।	रू0 5,00,000/-
2.	स्थायी अपंगता की दशा में।	रू0 5,00,000/-
3.	एक अंग अथवा एक ऑख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में।	रू0 2,50,000/-

यह व्यवस्था दिनांक 06.12.2020 से लागू होगी।

5. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखा शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 04-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु/अपंगता पर उनके नामिनी/उत्तराधिकारी को अथवा उनको अनुग्रह राशि, 42-अन्य व्यय से वहन किया जाएगा|

........3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.   यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-12-83(ई0ओ0)/दस-2021 दिनांक 09 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2021/1425(1)/पन्चानबे-2021 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स/मण्डलीय कमान्डेण्ट, ग्रेड-2/1/जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग (घोषणा प्रकोष्ठ)।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।